

# विचार बिन्दु

## दंड अन्यायी के लिए न्याय है। -अगस्तियन

### नेता गैर कानूनी काम करने वालों के साथ भी खड़े दिखते हैं!

**प**हले चुनावी नारों में पूछा जाता था आपका नेता कैसा हो, तो जबवा में लोगों का समूह चिल्लाता था फलों नेता कैसा हो। अब ऐसे नारे नहीं सुनाई पड़ते क्योंकि राजनीति में अब वैसे नेता होते ही नहीं जिन पर अभिमान किया जा सके या उनका अनुसरण किया जा सके। अब तो बद-दिमाग बाहुबलियों और किसी को कुछ न समझने वालों का समय है। युवावस्था में धौंस-पट्टी करते हुए राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ने का जतन किया जाता है। एक बार विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत कर मिलने आये एक युवा से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूछा कि उसने छात्रसंघ का चुनाव क्यों लड़ा, तो उसका मासूम जवाब था कि वह राजनीति में आना चाहता है और आगे चलकर पम्पएलए बनना चाहता है। ऐसा ही एक बार यूनिसेफ ने पंचायतों में पहली बार जीतकर आयी महिला पंचों को एक कार्यशाला रखी जिसमें बहुत सी युवा लड़कियाँ थीं - कुछ जौस पहने भी। वहाँ सबसे एक सवाल पूछा गया कि वे क्यों इस पद की आकांक्षी हुईं, तो सभी का सहज जवाब था कि वे अब सरकार में अपने परिवार और दूसरे अपने लोगों के काम करवा सकेंगी। ऐसा वे इसलिए बोल गईं क्योंकि उनका राजनीति में परिरक्व होकर यह कहना सीखना कि हम अपने क्षेत्र तथा आमजन के कल्याण के लिए आये हैं बाकी था। लोक कल्याणकारी राज्य को बात भी शायद इसीलिए अब नहीं की जाती। वह जमाना गया जब अर्थशास्त्री मानते थे कि लोक कल्याणकारी राज्य में तो बहुत घाटे का ही होगा और प्रशासनिक खर्च कम करके विकास पर अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। मगर अब सब कुछ उलट गया। अब सरकार हर सेवा का शुल्क लेकर अपना मुनाफा बढ़ाती है और अपने अमले पर खर्च बढ़ाती जाती है। अब राजनीति सेवा का व्रत नहीं है एक पेसा बन गई है। और राजनेता पेशेवर राजनेता सफल होने के लिए पेशेवर व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाएँ भी लेने लगे हैं। व्यावसायिक एजेंसियाँ उनके लिए जन-संपर्क का काम करती हैं। और तो और पत्रकारिता को उच्च शिक्षा के संस्थानों में विभिन्न माध्यमों पर प्रचार के इन्द्र सिखाए जाने लगे हैं और जनसंचार के आधुनिक साधनों के विषय में डिग्रियाँ भी दी जाने लगी हैं ताकि छात्रों को बाद में इस क्षेत्र में रोजगार मिल सके। कॉर्पोरेट जगत ने पत्रकारिता और राजनीति को भी अपने पाश में बांध लिया है। राजनीति के ऐसे नये माहौल में निर्वाचित प्रतिनिधि अपने को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी राजा-महाराजाओं या सीईओ जैसा व्यवहार करने लगे हैं तो क्या आश्चर्य है। वे समझते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में निर्वाचित हो जाने पर अब वे ही कानून हैं। वे अपनी राजनीति को चमक देने के लिए कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े नज़र आते हैं। अबखारों में और सोशल मीडिया पर विडिओ के साथ ऐसी खबरें आम पाई जाती हैं कि कोई विधायक साहब लोगों के समूह के सामने सरकारी कर्मचारियों को फटाकर हरे में या फोन पर किसी अफसर को डांटते-कहकारते हैं। ऐसा माहौल बन गया जाता है कि जैसे साधा प्रशासन खराब है और जन प्रतिनिधि जिनकी तरफ़दारी में खड़े दिख रहे हैं वे सब दूध के धुले हैं और पीड़ित हैं। यह भी सब जानते हैं कि इन पीड़ितों में वे भी होते हैं जो कानून तोड़ते हुए कोई भवन खड़े कर रहे होते हैं और वे भी होते हैं जिन्होंने खाली पडी सरकारी जमीन या पडोसी पर कब्जा किया हुआ होता है। उनकी तरफ़दारी करते हुए वे अपने को रोबिनहुड की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनमें अनेक सांप्रदायिक दवानल भी उगलते हैं।

प्राचीन या मध्यकालीन राज्यतंत्र में राजाशही अधिकारों के आधार पर शासन चलता था। वह वंश, रिश्तेदारियों तथा लैन-देन आधारित होता था। दरबार के लोग तथा उनके मातहत कारिदे सामंतों की कृपा पर आश्रित रहते थे तथा सामंती राजा की कृपा पर कृपा पाते थे। बाद वे स्वतंत्र होकर आत्म को अपने अंगुठे के नीचे रखते थे। उनका अपना कानून चलता था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को एक विधान के तहत काम करना होता है। उनके पास कोई व्यक्तिगत या निरंकुश शक्ति नहीं होती। उनको मिले विशेषाधिकार सदनों के अंदर ही होते हैं बाहर नहीं। किन्तु आज के राजनेता को अपनी दरबारी संस्कृति भाती है जिसमें कायदे कानूनों की नहीं उनकी मर्जी चलती हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी अचानक मिल गई। आजादी के बाद गणतंत्रिक व्यवस्था तो संविधान सभा ने बना कर दे दी, किन्तु नयी व्यवस्था के अनुरूप विवेकशील समाज और जागरूक नागरिक बनाने की पूरी तैयारी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों को बाहर कर देने का नहीं था, समाज को बदलने का उद्यम भी था जिसमें हमारे सामान्य व्यवहार में लंबे समय से अंदर गहरे तक धंसि सामंती लोककल्याण को जड़ मूल से उखाड़ना भी शामिल था। देशी रियासतों, शासकों, जागीरदारों तथा उनकी कुलीन व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नयी संवैधानिक व्यवस्था में तब्दील करना भी था। भारतीय गणतंत्र का ढाँचा तो बना गया जिसे थामने के लिए संविधान ने एक दूसरे से स्वतंत्र किन्तु एक दूसरे को बैलेंस करने वाले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीन आधार बना दिए। इन तीनों में किसी को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। संविधानिक संस्थाओं के सदस्यों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुने जाने की व्यवस्था की गई और जिनके जन्तिकाकारी नीतियाँ बनाने और शासन व्यवस्था को लागू करने दायित्व मिला। उनका कार्य लोकतांत्रिक जिम्मेदारों के तहत होता है, न कि किसी व्यक्तिगत या सामंती सत्ता के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा आधार लोकसेवा का नहीं सत्ता का आकर्षण बन गया है। इससे व्यक्तिगत फायदे पाने के लिए लोग इसमें आते हैं और ऐसे लोगों को ही पूछ राजनैतिक दलों में भी होने लगी है। आजादी के बाद देश में अनेक बार कोशिशें हुई कि चुनावों में उम्मीदवार का चयन निर्वाचन क्षेत्र के लोग करें परंतु यह हक पार्टी आलाकमार्गों के हाथों में चला गया और सत्ता का दुरुपयोग होना सामान्य चलन हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं। देश की संभ्रभुता यहां के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। संविधान इस कथन के साथ शुरू होता है कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। यह संविधान का निचोड़ उसके आमुख या प्रस्तावना में है। लेकिन विधायकों व सांसदों का गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक व्यवहार निश्चित रूप से खूद को पहला और हम भारत के लोगों को दोषम दर्जे का मानने वाला हो चला है।

भारतीय संविधान विधायकों और सांसदों के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करता है। इन दायित्वों का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को सुचारु रूप से चलाना, सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना होता है। कानून निर्माता होने के साथ-साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने चुनाव क्षेत्रों के मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वे मुद्दे क्या होते हैं यह महत्वपूर्ण है। वे नीति संबंधी मुद्दे और सामान्य न्याय आधारित विकास को सुनिश्चित करने वाले हो सकते हैं। विधायकों और सांसदों के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार और प्रशासन को निगरानी करना भी होता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे किसी संवैधानिक न्याय प्रक्रिया से ऊपर हो जाते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ सही तरीके से लागू हो रही हैं और जनता के हित में हैं। इसके लिए संसद तथा विधानसभाओं के मंच होते हैं जहाँ उन्हें अपनी बात पुरजोर और तर्कपूर्ण तरीके से रखने का मौका मिलता है। वे प्रश्न पूछकर, समिति रिपोर्ट की जांच करके और विधायिका में चर्चा करके सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं। मगर पेशेवर नेताओं को सामान्य व्यवहार राह नहीं आता। वे सदनों में भी कार्यवाही को बाधित करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं। उन्हें भारतीय संविधान और उसके तहत दिए गए अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना कौन सिखाये, यह बड़ा सवाल है। विभिन्न राजनैतिक दलों की अपने उम्मीदवारों की छवि की जगह उन्में चोट बटोरने की क्षमता में अधिक रुचि होती है ताकि वे बहुमत पा कर सरकार बना सकें। सत्ता पाने की वैसी ही दौड़ है जैसी कभी रियासती सत्ताओं के बीच होती थी। यह भी सच है कि मतदाता केवल आदर्शवाद या नायकत्व से प्रभाषित नहीं होते, बल्कि वे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने नेताओं से लाभ पाने की भी उम्मीद करते हैं। अनेक नेताओं की रोबिनहुड जैसी छवि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती है। सरकार की जवाबदेही को तो संविधान में व्यवस्था है लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मतदाता का अंकुश काम करता नज़र नहीं आता क्योंकि चुनाव में दलीय व्यवस्था में पार्टी संबद्धता के चलते मतदाता द्वारा अनेक बार नापसंद उम्मीदवार को भी समर्थन देते हमने देखा है। कुछ नेता अपनी लड़ाका छवि बनाकर अपनी जाति पर वचस्व जमा कर अपनी सामाजिक स्थिति, सामर्थ्य और नेतृत्व से राजनैतिक सौदेबाजी करते हैं। कई नेता प्रशासन के लिए ही सिरदर्द नहीं होते बल्कि निजी संस्थानों के जरबन संरक्षक बनकर भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं जिससे उनके निजी कार्यकर्ताओं का गुजारा होता रहे। इनमें अनेक उत्साही और मुखर दिखने का प्रयास करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम अक्सर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समाज में दरारें भी डालते हुए भी दिखते हैं। राजनैतिक दलों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिखाये कि उनका सार्वजनिक व्यवहार कैसा हो क्योंकि विनम्रता और ईमानदारी लोकतंत्र की पहली शर्त होती है।

-अतिथि संपादक,  
राजेन्द्र बोड्डा  
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

# वर्तमान समय में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता-1



भागचन्द्र जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत - शाश्वत- सनातन धर्म है। इस हुंदावसर्पिणी काल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे एवं अन्तिम 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर हैं।

तेइसवें तीर्थंकर भगवान पार्वनाथ के मोक्ष चले जाने के कुछ वर्षों के बाद भारत वर्ष में अनेक मत - मतोंतर प्रचलित हो गए थे। उस समय मनुष्य धार्मिकस्वर्ग प्राप्तिके लोभ में जीवित पशुओं को यज्ञ में बलि देते थे। बौद्ध धर्म की क्षिणक वादिता को अपना कर मन में संताप कर रहे थे। वैदातियों के प्रपंच में पडकर आत्म हित से परे हो रहे थे। धर्म को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा था। मिथ्यात्व का तिमिर घर कर गया था। ऐसे समय में कल्याण का मार्ग दिखाने वाले किसी उद्धारक की नितांत आवश्यकता थी। सृष्टि का क्रम जन मानस की आवश्यकतानुरूप हुआ करता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्व-पर के कल्याण मार्ग प्रशस्तक के रूप में सोलहवें अच्युत स्वर्ग के पुण्योत्तर विमान से इंद्र का इस धरा पर महत्कारिदे सामंतों की कृपा पर आश्रित रहते थे तथा सामंती राजा की कृपा पर कृपा पाते थे। बाद वे स्वतंत्र होकर आत्म को अपने अंगुठे के नीचे रखते थे। उनका अपना कानून चलता था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को एक विधान के तहत काम करना होता है। उनके पास कोई व्यक्तिगत या निरंकुश शक्ति नहीं होती। उनको मिले विशेषाधिकार सदनों के अंदर ही होते हैं बाहर नहीं। किन्तु आज के राजनेता को अपनी दरबारी संस्कृति भाती है जिसमें कायदे कानूनों की नहीं उनकी मर्जी चलती हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी अचानक मिल गई। आजादी के बाद गणतंत्रिक व्यवस्था तो संविधान सभा ने बना कर दे दी, किन्तु नयी व्यवस्था के अनुरूप विवेकशील समाज और जागरूक नागरिक बनाने की पूरी तैयारी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों को बाहर कर देने का नहीं था, समाज को बदलने का उद्यम भी था जिसमें हमारे सामान्य व्यवहार में लंबे समय से अंदर गहरे तक धंसि सामंती लोककल्याण को जड़ मूल से उखाड़ना भी शामिल था। देशी रियासतों, शासकों, जागीरदारों तथा उनकी कुलीन व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नयी संवैधानिक व्यवस्था में तब्दील करना भी था। भारतीय गणतंत्र का ढाँचा तो बना गया जिसे थामने के लिए संविधान ने एक दूसरे से स्वतंत्र किन्तु एक दूसरे को बैलेंस करने वाले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीन आधार बना दिए। इन तीनों में किसी को एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना था। संविधानिक संस्थाओं के सदस्यों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुने जाने की व्यवस्था की गई और जिनके जन्तिकाकारी नीतियाँ बनाने और शासन व्यवस्था को लागू करने दायित्व मिला। उनका कार्य लोकतांत्रिक जिम्मेदारों के तहत होता है, न कि किसी व्यक्तिगत या सामंती सत्ता के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति का पूरा आधार लोकसेवा का नहीं सत्ता का आकर्षण बन गया है। इससे व्यक्तिगत फायदे पाने के लिए लोग इसमें आते हैं और ऐसे लोगों को ही पूछ राजनैतिक दलों में भी होने लगी है। आजादी के बाद देश में अनेक बार कोशिशें हुई कि चुनावों में उम्मीदवार का चयन निर्वाचन क्षेत्र के लोग करें परंतु यह हक पार्टी आलाकमार्गों के हाथों में चला गया और सत्ता का दुरुपयोग होना सामान्य चलन हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिक बराबर हैं। देश की संभ्रभुता यहां के प्रत्येक नागरिक के हाथ में है। संविधान इस कथन के साथ शुरू होता है कि हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। यह संविधान का निचोड़ उसके आमुख या प्रस्तावना में है। लेकिन विधायकों व सांसदों का गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक व्यवहार निश्चित रूप से खूद को पहला और हम भारत के लोगों को दोषम दर्जे का मानने वाला हो चला है।

जौवन परिचय-भगवान महावीर का जन्म 599 ई.पू.पूर्व क्षत्रीय कुण्डग्राम (कुण्डलपुर- वैशाली) वर्तमान बिहार राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी प्रियकारिणी (त्रिशला) था। महावीर के जन्म के समय स्वर्गलोक से जन्मोत्सव मनाये गए सौधर्म इंद्र ने बालक की शक्ति को अनुभव किया और वीर नामकरण कर दिया। महावीर के जन्म के साथ ही राज्य समृद्ध होने लगा एवं चारों ओर राज्य की कीर्ति फैलने लगी, इसे देखते हुए बालक का वर्धमान नाम रखा गया। कालांतर में दो चारण ऋद्धिधारी मुनियों का शंका समाधान वर्धमान को देखते ही स्वतः ही हो गया, उन्होंने वर्धमान को समन्त नाम से पुकारा। गजशाला के एक मदनोन्मत्त हाथी को वश में करने पर अतिविर कहलाए।

संगम देव द्वारा भयंकर सर्प का रूप धारण कर वर्धमान की शूरवीरता की परीक्षा ली गई। सर्प को वश में कर लेने पर महावीर के नाम से जाने जाने लगे। महावीर जन्म से ही आमजन के हितार्थ कार्यों में लग गए थे। महावीर समय के साथ धीरे-धीरे बढ़े होने लगे। उनकी समझ तो बाल्यकाल से ही अद्भुत थी। उन्हें अपने आत्म कल्याण की समझ आने लगी थी। वे इस संसार को निस्कार मानते हुए भोगों में कभी प्रवृत्त नहीं हुए और आत्म चिंतन में लीन रहने लगे। इस समय वर्धमान के विवाह के प्रस्ताव आने लगे लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

महावीर जब तीस वर्ष के थे, तब पिता राजा सिद्धार्थ ने उन्हें राज कार्य संभालने हेतु कहने पर महावीर ने कहा कि जिस जंजाल से वे स्वयं बचना चाह रहे हैं उसमें मुझे फंसाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। वे पिता पिता को अपने प्रयोजन से संतुष्ट करने के बाद तीस वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। लगभग 12 वर्ष 5 माह एवं 15 दिन तक तप, संयम एवं साम्यभाव की साधना की, पंच महाव्रत आत्मसात किया। महावीर एक दिन ऋजुकुला नदी के किनारे आत्म ध्यान में लीन थे तब चातिका कर्मों का नाश कर वैशाख शुक्ल दशमी के दिन सम्पूर्ण ज्ञान, ज्ञान केन्द्र प्राप्त हुआ। इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने समवशरण की रचना की। लेकिन गणधर के अभाव में, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। इंद्रपूति नामक ब्राह्मण के समवशरण में आने पर ही भगवान की दिव्य वाणी खिरी। इंद्रपूति के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम उपदेश में जीव के स्वरूप का ज्ञान कराया।

इंद्रपूति ही भगवान के प्रथम गणधर बने जो गौतम गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीर्थंकर के 10 और गणधर बने। इनके समवशरण में देव, नर, तिर्यक गति के जीवों ने सदुपदेश प्राप्त किये। भगवान अर्ध-मागधी भाषा में तत्वों का उपदेश करते थे और गौतम गणधर उसे ठाहरण करते थे। एक बार समवशरण में गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि, भंते! दो व्यक्ति हैं, एक तो दिन रात आधकी भक्ति में लगा रहता है, जिससे उसे जन सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति वह है जो दिन रात जन सेवा में लगा रहता है, जिसके पास आपकी भक्ति के लिए समय ही नहीं है। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? धन्य है? पुण्यशाली है? महावीर ने समाधान

किया कि श्रेष्ठता नाम रटने में या पूजा-अर्चना करने में नहीं, मेरी आज्ञा पालन करने में है। समवशरण में ही राजा श्रेणिक ने भी 60000 प्रश्न पूछे थे। इन्ही आधार पर ग्रंथों की रचना हुई, जिसे हम द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं।

महावीर ने 30 वर्षों तक देश के विविध अंचलों में पदविहार कर संश्रत मानवता के कल्याण हेतु अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य धर्म को आम जन में प्रसारित किया। रत्नत्रय की अवधारणा से परिचित कराया। पूर्णज्ञानी योगी भगवान महावीर ने वैदिकी हिंसा- कर्मकांड, पशुबलि तथा अन्य कुरहृतियों को बंद कराया। भगवान महावीर को कर्म प्रचार करते-करते पांवापुर आए, वहां योग- निरोध कर आत्मध्यान में लीन हो विराजमान हो गए। आधातिया कर्मों का नाश कर कार्त्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातःकाल के समय 72 वर्ष की अवस्था में, ईसा से 527 वर्ष पूर्व निवर्ण प्राप्त किया। इस दिवस को दीपावली के रूप में मनाया जाता है।

भगवान महावीर एक विलक्षण - सम्पूर्ण जीवन् दृष्ट थे।

1. उन्होंने कर्म सिद्धांत को अपनाया, कर्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कर्म की प्रधानता की अवधारणा को जागृत किया। यह संदेश दिया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। स्व कल्याण के लिए व्यक्ति स्वयं संक्षम है। मानव जीवन् में पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता होती है। यह संदेश दिया कि हमारे सुख-दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे द्वारा किये गये कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जन्म में एवं इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतान पड़ता है।

2. ईश्वर की सत्ता की जगह हम सब में ईश्वर बन्ने की क्षमता का संचार किया। मनुष्य स्वयं अपना कर्ता है। यह सृष्टि अनादि, अनंत है एवं कर्म सिद्धांत पर चलती है। फल देने का या दंडित करने का कार्य ईश्वर का नहीं है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो कुछ भी फीड किया जाता है, परिणाम तदनुसार ही आता है। तीर्थंकर महावीर ने अप्पा सो परमपूजा का उपदेश देकर विना किसी भेदभाव के प्रत्येक जीव और आधकी परमात्मा बनने का मार्ग बताया। गुणों की अपेक्षा से पूर्व विकसित आत्मा ही परमात्मा है। अन्य किसी भी धर्म में मनुष्य को अपने कर्म फल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया है। अन्य धर्मों में ईश्वर अवतार लेता है एवं उसे कर्ता एवं फल प्रदाता माना गया है।

मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपने अनुभव से जान सकते हैं कि कर्म सिद्धांत स्वतः अपना कार्य करते हैं। भगवान महावीर ने सांसारिक सुख की प्राप्ति एवं साथ ही मोक्षमार्ग पर चलने हेतु श्रावकों को पंच अणुव्रत एवं श्रमणों को पंच महाव्रत (निम्न 3-7) के सिद्धांत अपनाते पर जोर दिया। स्व कल्याण के साथ, जन कल्याण एवं विश्व कल्याण भी संभव है।

3. अहिंसा व्रत- भगवान महावीर ने अहिंसा के सूक्ष्मतम रूप का व्यापक विश्लेषण किया है। अहिंसा को केवल शूद्रि का आधार बताया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही महान धर्म है। महावीर के जीओ और जीने दो के सूत्र में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। यह कथन आत्म-साक्षात्कार और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। एक मात्र इसी सिद्धांत को पालना से हम विश्व बंधुत्व की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। इसका विश्लेषण करते हैं तो जानते हैं कि स्वयं के जीवन के बारे में सोचने में ही किसी अन्य के जीवन की अनुभूति अंतर्निहित है। हम यदि वास्तविकता में स्वयं अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें ने केवल आसपास बल्कि सभी के हितों का ध्यान रखना होगा तभी स्वयं का जीवन निरापद होगा। अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी का घात न करना, अपशब्द न बोलना तथा मानसिक रूप से किसी का अहित न सोचना। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो दुर्भाव का अभाव तथा समभाव का निर्वाह ही अहिंसा है। अहिंसा सहअस्तित्व, सच्चिण्णता की भावना का प्रतीक है। किसी के प्रति हम में बुरे विचार आना, बदले की भावना से संचना आदि को भी हिंसा की श्रेणी में माना गया। विचारों से ही हमारी मनस्थिति विकसित होती है एवं तदनुसार हम प्रतिक्रिया देते हैं। शान्तिपूर्ण जीवन के लिए अहिंसात्मक आचरण की आवश्यकता है। जौन का अधिकार प्राणी मात्र को है। सभी को जीने का अधिकार है। किसी दूसरे के अच्छे जीवन की कामना से ही स्वयं का उच्छेद शूद्रिवाल हो सकता है, यही सत्य है। मन, वचन और कर्म से अहिंसा को आत्मसात करने का संदेश स्थाई शान्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने किसी और पर विजय प्राप्त करने की बजाय, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

अहिंसा पालन एवं धर्म का एकाधिकार नहीं है, शीर्ष मार्ग दर्शक जरूर है। वर्तमान में इस सिद्धांत की पालना केवल सीमित व्यक्तियों द्वारा ही

की जा रही है। यदि संसार के तथाकथित शक्ति के केंद्र जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के ऊपरी आचरण का भी पालन कर ले या समझ भी ले तो रूस एवं यूक्रेन, चीन एवं ताईवान, फिलिस्तीन (हमास) एवं इजराइल, अहिंसा के बीच जारी भौषण विभित्सिका की रोका जा सकता है। युद्ध का अंत अवश्यंभावी है, लेकिन महावीर के सिद्धांत अहिंसा से ही संभव है। हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। जैसे कि कुछ मानव मूक पशु-पक्षियों को मारकर खाना अपना अधिकार समझते है। यदि ऐसा है तो मानव अपने से निर्बल व्यक्ति को अपना स्वयं पूर्ति हेतु मारने में एवं एक शक्तिशाली देश मारने से कमजोर देश को नष्ट करने में नहीं हिचकिचायेगा और वे क्रम चलता रहेगा। इसका अन्त-अन्तः सृष्टि के विनाश के रूप में होगा। लेकिन महावीर ने सह अस्तित्व की अवधारणा को जन्म देकर इस सृष्टि को विनाश मार्ग पर जाने से बचा लिया, क्योंकि वर्तमान में बहुत से लोग भगवान महावीर के सिद्धांतों का येन केन प्रकारेण पालन करते हैं।

दूसरों का बुरा चाहकर कोई भी अपना भला नहीं कर सकता है। भगवान महावीर की अहिंसा के अमोघ हथियार को महात्मा गाँधी ने अपनाया और भारत को शक्तिशाली अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराया। कई धर्मों में अहिंसा धर्म बताया गया है लेकिन जिस सूक्ष्मता के साथ महावीर ने अहिंसा का स्वयं पालन किया है और ज्ञान दिया है, वह समुचित है।

4. सत्य व्रत - जो वस्तु जैसी है, उसे वैसा ही मानना सत्य है। अहिंसा के बाद सत्य का क्रम आता है। सत्य का अर्थ सत् शब्द से आया है जिसका मतलब है वास्तविक होना, वस्तु स्थिति, तथ्य से अन्वत होना। सत्य विपरीत मिथ्यात्व इस संसार में भ्रमण का कारण बनता है। अपने निरीह स्वार्थ के कारण सत्य का साथ नहीं छोड़ना, व्यक्ति को जिम्मेदार और विश्वसनीय बनाता है और अंततोगत्वा वह आदर का पात्र बन जाता है। सत्य का शाब्दिक अर्थ सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में धारण करके ही व्यक्ति सत्य लोक कला है।

(शेषांश कला के अंक में )  
संकलन-भागचंद्र जैन मित्रपुरा, भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, अ.भार. जैन बैल्सर्क फोरम, जयपुर पूर्व कंसलेटर एस्बीआई लाइफ

# केसरीसिंहपुर पालिका में चेरपरसर्न के फर्जी हस्ताक्षर से ईओ और बाबू ने पट्टा जारी किया

पालिका चेरपरसर्न ने वसूल की गई 66,917 की राशि के स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 24 हजार कुछ रुपए ही जमा करवाकर शेष राशि का गबन का भी आरोप लगाया

कर 66,915 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद पत्रवाली में राशि जमा होना दर्शाते हुए पट्टा जारी करने के लिए पत्रवाली चेरपरसर्न सुमिता रानी के पास भेजी गई। प्लेट का नक्शा टाउन प्लान से पास नहीं होने के कारण चेरपरसर्न ने इस पट्टे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके बाद गुपचुप चेरपरसर्न के फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने पर चेरपरसर्न ने ईओ से इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं कराई गई तो चेरपरसर्न ने पट्टा संबंधी रिकॉर्ड

मंगवाकर देखा तो उस पर चेरपरसर्न के फर्जी हस्ताक्षर थे। मामले में अपना बचाव करते हुए एन पट्टा जारी किए जाने वाले समय तैनात रहे बाबू मुकेश कुमार के कार्यकाल में रिकॉर्ड की जांच करवाने के लिए निकाय विभाग के उपनिदेशक को पत्र लिखा। मामला संज्ञान में आने पर चेरपरसर्न ने ईओ से इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं कराई गई तो चेरपरसर्न ने पट्टा संबंधी रिकॉर्ड

गुणा 60 फीट साइज प्लेट का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया। इसमें 42,000 रुपए की राशि का डिमांड नोटिस जारी कर राशि जमा करवाई गई तथा पट्टा भी जारी कर दिया गया। एक पट्टे में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद चेरपरसर्न ने अपने पति के नाम से जारी पट्टे को जमा राशि का रिकॉर्ड देखा तो राशि जमा ही नहीं होना पाया गया। अब इस मामले की शिकायत निकाय विभाग से की है। अधिशासी अधिकारी विश्वास गोदारा ने बताया कि पालिका चेरपरसर्न ने इस मामले से अलग करवाया है। इस मामले में कमेटी गठित कर कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार के कार्यकाल में दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए निकाय विभाग के उपनिदेशक को पत्र लिखा गया है। तत्कालीन कनिष्ठ सहायक मुकेश

कुमार ने बताया कि लिपिकीय भूल से कोई चूक हो गई होगी। पुराना मामला है। भेरे संज्ञान में नहीं है। नगरपालिका से पूरी जानकारी मिल सकती है। मेरा स्थानांतरण हो गया। चेरपरसर्न सुमिता रानी का कहना है कि फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी करने का मामला पकड़ में आया है। साथ ही डिमांड नोटिस के अनुसार वसूल की गई राशि भी सरकारी खजाने में जमा नहीं है। अधिशासी अधिकारी व बाबू की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर गबन किया गया है। जो पट्टा भेरे फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उस पर अधिशासी अधिकारी विश्वास गोदारा के हस्ताक्षर हैं। पालिका में बीते वर्षों में किए गए भ्रष्टाचार व गबन मामले की जांच के लिए निकाय विभाग के उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी गई है।

# रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेण्डर व रीफीलिंग उपकरण जब्त किये

उदयपुर, (कास)। रसद विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच कर घरेलू गैस सिलेण्डर और रिफीलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनगर ने बताया कि खाद्य एवं

नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में अवैध एलपीजी रिफीलिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से जान-माल की क्षति एवं घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरुपयोग के कारण होने वाली राजस्व हानि तथा गैस सिलेण्डरों की अवैध

भण्डारण की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी डॉ. निशा मून्दाड़ा प्रवर्तन व प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. कोमल सिंह सोलंकी द्वारा उदयपुर शहर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच की।

परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला मसूदा, (निर्स)। मसूदा क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ़, केरिया व चाबिण्डिया के ग्रामीणों ने परिसीमन को लेकर मोर्चा खोला। मसूदा उपखंड क्षेत्र में राजस्व परिसीमन को लेकर हाल ही में बनी ग्राम पंचायत को लेकर आसपास के ग्रामीण गांव को अदला-बदली के चरिते लामबंद हो गए। सदस्यविधियां केरिया एवं श्यामगढ़ के ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया

## राशिफल

### बुधवार 9 अप्रैल, 2025

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2082, मघा नक्षत्र प्रातः 9:57 तक, राई योग सयं 6:25 तक, बव करण दिन 10:04 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शूक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग दिन 9:57 से रात्रि 10:56 तक है। आज प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, श्री महावीर जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:21 तक, शुभ 10:55 से 12:28 तक, चर 3:36 से 5:10 तक, लाभ 5:10 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:44

<h3>मेघ</h3> <p>परिवार में शुभ-मंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।</p>	<h3>वृष</h3> <p>घर-परिवार में अतिथियों का आमगन रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।</p>	<h3>मिथुन</h3> <p>व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।</p>	<h3>कर्क</h3> <p>आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बने लगे। संभावित खोत से घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा। नवीन कार्य के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।</p>	<h3>सिंह</h3> <p>मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।</p>	<h3>कन्या</h3> <p>आर्थिक मामलों में लाभकारी ठीक नहीं रहेगी। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।</p>
<h3>तुला</h3> <p>आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।</p>	<h3>वृश्चिक</h3> <p>व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे।</p>	<h3>धनु</h3> <p>व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे।</p>	<h3>मकर</h3> <p>आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बने कार्यों विगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।</p>	<h3>कुंभ</h3> <p>आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बने कार्यों विगड़ सकते हैं। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।</p>	<h3>मीन</h3> <p>स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादिता मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।</p>